हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.6.2016 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कुमेर पेश हुई। पक्षकारान अनु०। पक्षकारान को तारीख पेशी की इत्तला होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन के यह स्पष्ट प्रतीत होता कि उक्त वाद अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात (लिखित बही) के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में लागू हो चुका है ऐसी स्थिति में अन रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि विरुद्ध है। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-8-2012 में भी सादा कागज पर लिखित साक्ष्य ग्राह्य नहीं माना है। RRD 2011-12 (SUPP.) इन्दु बनाम नूर शिदाह राम व अन्य में स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थिति में दावा सारहीन होने से खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वादीगण का दावा अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर सरकार के कम हो। SDO उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	